

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा जून २०२१ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

(i) कर्मचारी चयन आयोग ने समय-समय पर कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की है और 02-06-2021 और 25-06-2021 के नोटिस जारी किए हैं, जिनके माध्यम से उम्मीदवारों के हित में परीक्षा से संबंधित गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया है।

साथ ही, आयोग ने निम्नलिखित परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया:

क) कनिष्ठ अभियंता (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्रांटीटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट) परीक्षा (प्रश्न-पत्र-I), 2020

ख) संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (टियर-III), 2019

ग) संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10 +2) स्तर परीक्षा (सीएचएसएलई-टंकण परीक्षा/डीईएसटी), 2018

घ) दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ में उप-निरीक्षक, और सीआईएसएफ में सहायक उप-निरीक्षक परीक्षा [शारीरिक सहनशीलता परीक्षण (पीईटी)/शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी)], 2019

(ii) सीजीएलई 2018 के माध्यम से सीधी भर्ती सहायक अनुभाग अधिकारी के रूप में चयनित 954 उम्मीदवारों के नामांकन को स्वीकार किया गया। पहली बार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इन 954 सहायक अनुभाग अधिकारियों द्वारा नियुक्ति पूर्व औपचारिकताओं को पूरा करने से संबंधित गतिविधियों की शुरुआत करना।

(iii) दिनांक 22.06.2021 के का.ज्ञा. संख्या 18/03/2018-सीएस.। (पी) के माध्यम से सीएसएस/सीएसएसएस में यूएस/पीपीएस से पदोन्नति पर डीएस/सीनियर पीपीएस को दो वेतन वृद्धियां प्रदान की गईं।

(iv) पीईएसबी, डीओपीटी ने 04 (चार) पदों [निदेशक के 03 (तीन) पदों और प्रबंध निदेशक के 01 (एक) पद] के लिए विज्ञापन जारी किए।

(v) दिनांक 08.06.2021 के का.ज्ञा. संख्या 12/5/2021-जेसीए के माध्यम से वर्ष, 2022 के दौरान केन्द्र सरकार के कार्यालयों में होने वाले अवकाशों की एक सूची जारी की गई।

(vi) दिनांक 03.06.2021 के का.ज्ञा. संख्या 43014/03/2019-स्था.(ख) के माध्यम से केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था।

(vii) दिनांक 11-06-2021 की राजपत्रित अधिसूचना के तहत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट), द्वितीय संशोधन, विनियमावली, 2021 अधिसूचित की गयी थी।

(viii) श्री संजीव कुमार मिश्र, आईएस (ओडिशा:1997) को दिनांक 03.06.2021 (पूर्वह्न) से पांच वर्षों के कार्यकाल के लिए अर्थात् दिनांक 02.06.2026 तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, सचिव-सह-नियंत्रक परीक्षा, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए), नई दिल्ली के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ix) अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग के पद का अतिरिक्त प्रभार, सुश्री दीप्ति उमाशंकर, आईएस (हरियाणा:1993), अपर सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को उनके इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 06 माह की अवधि के लिए, अथवा इस पद पर नियमित पदधारी की नियुक्ति होने तक, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रदत्त किया गया है।

(x) एसएल-2009 से संबंधित एसएसए और केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (सीएससीएस) के एसएल-2004 से 2008 से संबंधित रोके गए (डिबार्ड) एसएसए को दिनांक 15.06.2021 के कार्यालय ज्ञापन सं.11/1/2020-सीएस.।। (ख) के माध्यम से तदर्थ आधार पर केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के एसओ के ग्रेड में पदोन्नत किया गया था।

(xi) दिनांक 23 जून, 2021 के आदेश संख्या टी-16017/08/2021-आईगॉट कर्मयोगी के अनुसार स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) पर टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इसे एसपीवी के गठन के लिए एक रोडमैप को सरल तथा कारगर बनाने के लिए गठित किया गया है। श्री गोविंद अय्यर और श्री पंकज बंसल की सदस्यता के साथ श्री एसडी शिबू लाल द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है।

(xii) श्री आदिल जैनुल आबिदीन भाई ने श्री रामास्वामी बालासुब्रमण्यम, जिन्होंने मानव संसाधन के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था, के साथ 28 जून, 2021 को क्षमता विकास आयोग के अशकालिक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। श्री प्रवीण परदेसी, आईएस (महाराष्ट्र-85) ने 1 जुलाई, 2021 को सदस्य, प्रशासन के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। आयोग में सचिवालय कर्मचारियों की तैनाती के साथ ही एनडीसीसी भवन, द्वितीय मंजिल स्थित उनका अस्थायी प्रशासनिक कार्यालय शुरू हो गया है।

2. उपर्युक्त के अलावा, इस विभाग द्वारा विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित अनुदेश/दिशानिर्देश/स्पष्टीकरण भी जारी किए गए थे:-

- (i) कोविड-19 महामारी के दौरान अस्पताल में भर्ती/संगरोध (क्वारेन्टाइन) अवधि का निरूपण/नियमितीकरण दिशानिर्देश, दिनांक 07.06.2021 के का.ज्ञा.सं.13020/1/2019-स्था.(एल) के माध्यम से जारी किया गया था।
- (ii) नॉवल कोरोनावायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने संबंधी निवारक उपाय - केंद्र सरकार के अधिकारियों की उपस्थिति सम्बंधित दिशानिर्देश दिनांक 14.06.2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से जारी किया गया था।
- (iii) केन्द्रीय सिविल सेवाओं के समूह 'क', 'ख' और 'ग' अधिकारियों के संबंध में वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) प्रस्तुत करने की समय-सीमा का विस्तार, दिनांक 17.06.2021 के का.ज्ञा.सं.21011/2/2015 स्था.(क-II)-भाग.II के माध्यम से जारी किया गया था।